

म0प्र0 शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक/ डी-17/16/2018/14-3

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी, 2019

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
मध्य प्रदेश ।

विषय:- प्रदेश के किसानों की फसल ऋण से मुक्ति हेतु "मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना" के संबंध में 15 जनवरी को हरी/सफेद सूचियाँ चस्पा करने के संबंध में ।
संदर्भ:- आदेश क्रमांक/डी-17/16/2018/14-3 दिनांक 07 जनवरी, 2019 तथा पत्र क्रमांक/डी-17-16/2018/14-3 दिनांक 08 जनवरी, 2019


कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश एवं पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के लिए निर्धारित कार्यक्रम अनुसार दिनांक 15 से 25 जनवरी, 2019 के मध्य प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं बैंक शाखा समिति में आधार सीडेड संभावित पात्र किसानों की हरी सूची एवं गैर आधार सीडेड किसानों की सफेद सूची का प्रदर्शन किया जाना है। सूची का प्रारूप पत्र के साथ संलग्न है ।

इस संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि माननीय मंत्रीगणों द्वारा उनके जिले/विधान सभा क्षेत्र/चयनित विकासखण्ड/पंचायतों में जाकर किसानों के कर्जमाफी के हरे/सफेद आवेदन पत्र भरवाए जावेंगे । इसके लिए निम्न कार्यवाही आवश्यक है :-

- 1- आपके जिले से जो माननीय मंत्रीगण हैं उनसे चर्चा कर विकासखण्ड/पंचायतों पूर्व से चयनित करा ली जावें।
- 2- उक्त चयनित विकासखण्ड के सभी सहकारी/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूर्ण जानकारी शाखाओं के माध्यम से नियत समयावधि में एम.पी. ऑनलाईन को संस्थागत वित्त द्वारा निर्धारित प्रारूप में हो जावें । इसके लिए यदि चयनित शाखाओं में डेटाएन्ट्री के लिए मानव संसाधन/हार्डवेयर की आवश्यकता पड़े तो उसकी पूर्ति निर्देशानुसार जिले के अन्य कार्यालयों से कराना सुनिश्चित करें।
- 3- एम.पी. ऑनलाईन द्वारा पोर्टल पर संकलित जानकारी उपलब्ध कराये जाने पर उसकी बैंक शाखावार तथा ग्राम पंचायतवार हरी एवं सफेद सूची डाऊनलोड/मुद्रण उपरान्त चयनित विकासखण्ड की सभी पंचायतों में नियत समयावधि में हरे/ सफेद/गुलाबी आवेदन पत्रों के साथ उपलब्ध करा दी जाये, ताकि 15 जनवरी, 2019 को निर्धारित कार्यक्रम अनुसार उनका प्रदर्शन हो सके और आवेदनकर्ता से आवेदन पत्र भराये जा सकें।

कृपया इस संबंध में समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

संलग्न-उपरोक्तानुसार


(डॉ. संजिव कुमार)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन


किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

(2)

पृ०कमांक / डी-17 / 16 / 2018 / 14-3
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी, 2019

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन (समस्त)।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन (समस्त)
6. सचिव, म.प्र.शासन, (समस्त)।
7. विभागाध्यक्ष (समस्त) म.प्र.।
8. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, म.प्र., भोपाल।
9. राज्य सूचना अधिकारी (SIO) NIC भोपाल।
10. राज्य समन्वयक, एस.एल.बी.सी. राज्य समन्वयक बैंकर्स समिति, भोपाल को समस्त राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रेषणार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंकित।
11. संभागायुक्त, (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत- समस्त, को पालनार्थ।


प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग